

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937
No. 688]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 840(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 13 फरवरी, 2015 में सा.का.नि. सं. 92(अ) तारीख 13 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 13 अप्रैल, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त अधिसूचना की बाबत आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अब केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो बोर्ड के साथ परामर्श किए बिना नियम बनाने की आवश्यकता प्रदान करती हैं ;

केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 36 के परंतुक के निबंधनों के अनुसार, इन नियमों के बनाए जाने के छः माह के भीतर बोर्ड से परामर्श करेगी और उन सुझावों पर विचार करेगी जो बोर्ड इन नियमों के संशोधन के संबंध में दे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. कीटनाशी नियम, 1971 में,-
(1) नियम 6, के उपनियम (4) में शब्दों, अंकों और अक्षर "प्ररूप 2" या प्ररूप 2क" के स्थान पर "प्ररूप 2 या प्ररूप 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(2) नियम 7 के उपनियम (1) में, शब्द, अंक और अक्षर "प्ररूप 2 ख" के स्थान पर "प्ररूप 4" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(3) नियम 9 में-
(i) उप-नियम (1) में-
(क) "यानवीकरण" और "जैसा भी मामला हो" शब्दों को हटाया जाएगा;
(ख) "प्ररूप 3 या प्ररूप 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 5" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(ii) उप-नियम (3) में-
(क) "प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 6" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(ख) खंड (i) में, "और किसी प्रमाणपत्र का नवीकरण" शब्दों को हटाया जाएगा;
(ग) खंड (iv) हटाया जाएगा;
- (iii) उप-नियम 4(क) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"4(ख) एक व्यक्ति जो विनिर्माण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी डाक्टरेक्ट के साथ रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या तकनीकी श्रेणी कीटनाशकों के विनिर्माण के लिए रसायन इंजीनियरिंग में डिग्री या कीटनाशक विनिर्मिति के विनिर्माण के लिए रसायन विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री धारण करता हो:
परन्तु एक व्यक्ति जो इस उप-नियम के अधिसूचना की तारीख को विनिर्माण अनुज्ञप्ति धारण करता है उसे शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाएगा।";
- (4) नियम 10 में-
(i) उप नियम (1) में, -
(क) शब्दों और अंकों "प्ररूप 6 और प्ररूप 7" के स्थान पर "प्ररूप 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(ख) "यानवीकरण" और "जैसा भी मामला हो" शब्दों को हटाया जाएगा ।

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) एक व्यक्ति विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या कीटनाशी के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो।

परन्तु सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस उप-नियम के अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करते हों, उन्हें शैक्षिक अर्हता प्राप्त के लिए दो वर्ष का समय दिया जाएगा।

(iii) उप नियम (2) में, “या नवीकरण” शब्दों को हटाया जाएगा;

(iv) उप-नियम (3क) में, -

(क) खंड (i) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “प्ररूप 6क” और “प्ररूप 6ख” के स्थान पर “प्ररूप 7” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, शब्द, अंक और अक्षर “प्ररूप 6 ग”, के स्थान पर “प्ररूप 8” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम (4 क) के खंड (i) में-

(क) शब्द, अंक और अक्षर “प्ररूप 6 घ” के स्थान पर “प्ररूप 9” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) शब्द “या नवीकरण” हटाए जाएंगे;

(vi) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7) सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष नियम 9 और नियम 10 के अधीन प्ररूप-10 में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अनुज्ञप्ति अधिकारी प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार अवसंरचना, परिसर, स्टॉक और अभिलेख का निरीक्षण संचालित करेगा”;

(5) नियम 10(क) के उपनियम (क) में, निम्नलिखित वाक्य अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“सभी ऐसे स्टॉकों का अभिलेख प्ररूप 11 में रखा जाएगा”;

(6) नियम 11 में, -

(i) उप नियम (क), के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) “कीटनाशी के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जो धारा 9 की उपधारा (3 ख) के अधीन प्रदत्त अनंतिम आधार पर पंजीकरण जारी किया गया है, अनंतिम पंजीकरण की समाप्ति की तारीख को

समाप्त हो जाएगी। मुख्य अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति, मुख्य अनुज्ञप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी,”;

(ii) उप नियम (ख) में, -

(क) “अनुज्ञप्ति का नवीकरण” शब्दों के पश्चात “नाशकजीव नियंत्रण आपरेटर की दशा में” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (i) में, शब्द “कीटनाशी विनिर्माण के लिए या” हटाए जाएंगे;

(ग) खंड (ii) हटाया जाएगा;

(7) नियम 15 में, -

(i) उप नियम (2) में, शब्द और अंक “प्ररूप 13” के स्थान पर “प्ररूप 12” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप नियम (3) में शब्दों और अंकों “प्ररूप 15” और “प्ररूप 16”, के स्थान पर “प्ररूप 13” और “प्ररूप 14” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप नियम (4) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “प्ररूप 15 क और 16 क” के स्थान पर “प्ररूप 15 और 16” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(8) नियम 24 के, उपनियम (3) में, शब्द और अंक “प्ररूप 9” के स्थान पर “प्ररूप 17” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(9) नियम 30 में, शब्द और अंक “प्ररूप 10” के स्थान पर “प्ररूप 18” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(10) नियम 32 में, शब्द और अंक “प्ररूप 11” के स्थान पर शब्द और अंक “प्ररूप 19” रखे जाएंगे;

(11) नियम 33 में, शब्द और अंक “प्ररूप 12” के स्थान पर “प्ररूप 20” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(12) नियम 34 में,-

(i) उप-नियम (1) में, शब्द और अंक “प्ररूप 12” के स्थान पर “प्ररूप 20” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, शब्द और अंक “प्ररूप 13” के स्थान पर “प्ररूप 21” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(13) नियम 37 में, उप नियम (1) में, शब्द और अंक “प्ररूप 17” के स्थान पर “प्ररूप 22” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

- (14) "प्रथम अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-
"प्रथम अनुसूची

प्ररूप-1

कीटनाशको के पंजीकरण के लिए आवेदन

[नियम 6 देखिए]

1. (क) आवेदक का नाम और पता:
 (ख) ई-मेल का पता:
 (ग) स्थायी लेखा संख्यांक (पी.ए.एन.):
 (घ) आवेदन का प्रवर्ग:
2. उस कीटनाशक का, जिसको आवेदक आयात करने या विनिर्माण करने का प्रस्ताव करता है, सामान्य नाम :
3. आवेदन की प्रकृति:
 (क) आयात या विनिर्माण:
 (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3)/9(3ख)/9(4) के अधीन पंजीकरण:
 (ग) यदि तुल्यता का दावा किया जाता है, पंजीकृत कीटनाशी और रजिस्ट्रेंट का नाम:
 (घ) लागू होने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त विनिर्दिष्ट करें:
4. परिसर का पता-
 (क) विनिर्माण का:
 (ख) जहां आयातित कीटनाशी का निर्मिति या पुनःपैक में संपरिवर्तन किया जाएगा:
5. आयात की दशा में, कृपया दर्शित करें:-
 (क) विनिर्माता का नाम और पता:
 (ख) प्राधिकारी का नाम, पता और ई-मेल आई.डी. जिसने निर्यात करने वाले देश में विनिर्माण प्राधिकृत किया है:
 (ग) पूर्तिकार का नाम और पता यदि वह विनिर्माता द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है:
 (घ) क्या कीटनाशी उस देश में पंजीकृत है-
 (i) जहां विनिर्माण किया जाना है;
 (ii) जिससे पूर्ति किए जाने की प्रत्याशा की जाती है:
 (ङ) पंजीकरण संख्यांक, विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्यांक, विनिर्माता देश में पंजीकरण के प्रमाणपत्र और विनिर्माण अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि:

6. विनिर्माण की दशा में, कृपया दर्शित करें-
 - (क) क्या कीटनाशी विनिर्मित या पुनः पैक किया जाना प्रस्तावित है:
 - (ख) क्या कीटनाशी घरेलू उपयोग के लिए या निर्यात के लिए या दोनों के लिए है:
7. विनिर्मिति की दशा में, तकनीकी श्रेणी सामग्री के प्रदाय पूर्ति का स्रोत और पंजीकरण की स्थिति:
8. रसायनिक संरचना (प्रतिशत के आधार पर)-
 - (क) सक्रिय संघटक (संघटकों) का नाम:
 - (ख) अशुद्धता (तकनीकी श्रेणी कीटनाशी की दशा में):
 - (ग) सहायक (विनिर्मिति की दशा में, अन्य संघटक):
 - (घ) कुल:
9. (क) भण्डारण में स्थिरता (बोर्ड द्वारा अनुमोदित नयाचार के अनुसार वैज्ञानिक रूप से जनित आंकड़े प्रदान करें):
 - (ख) प्रयोग करने की अवधि का दावा:
 - (प्रयोग करने की अवधि का वचन प्रदान करें):
10. स्तनपायी, वन्यजीव, जलचर के लिए कीटनाशी की विषाक्तता(पंजीकरण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परीक्षण सुविधा द्वारा जनित विषवैज्ञानिक आंकड़े प्रदान करें):
11. पादप रोग, कीट, घासपात और अन्य अनिष्टकर जन्तुओं पर जैव प्रभावकारिता, जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है(पंजीकरण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परीक्षण सुविधा द्वारा जनित आंकड़े प्रदान करें):
12. भण्डारण और प्रयोग के लिए अनुदेश जिसमें प्राथमिक उपचार और पूर्वोपाय सम्मिलित हैं जो लेबल पर लिखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं:
13. (क) भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार कीटनाशकों की गुणवत्ता और उसके अवशेषों के लिए प्रस्तावित विनिर्देशनों

(जिसमें विश्लेषण की विधि भी शामिल है) की

एक साफ्ट कापी सहित दो प्रतियां:

(ख) परीक्षण सुविधा से कीटनाशी के नमूनों

(जिसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है)

की विश्लेषण परीक्षण रिपोर्ट (सम्पूर्ण ब्योरे, ग्राफ, गणनाएं आदि प्रदान करें):

(ग) तकनीकी श्रेणी कीटनाशी की दशा में सक्रिय संघटक

का लक्षण वर्णन (परा-बैंगनी, अवरक्त

पुंज और नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाद स्पेक्ट्रा

का प्रयोग करते हुए):

14. कीटनाशी नियम, 1971 के अनुसार प्रस्तावित

लेबलों और पत्रकों की सात प्रतियां (इनमें वह सभी

मुद्रित और ग्राफिक सामग्री सम्मिलित है जो इन

पैकेजों के साथ होगी, जिसमें कीटनाशी है):

15. पैक करने का रीति :

16. जमा कराई गई फीस के ब्यौरे:

आवेदक के हस्ताक्षर

मुहर सहित

सत्यापन

मैं..... सुपुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि आवेदन और उपाबंध तथा उनके साथ विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना और आंकड़े किसी भी प्रक्रम पर गलत या मिथ्या पाये जाते हैं या इस आवेदन के विरुद्ध प्रदत्त पंजीकरण की कोई शर्त अतिक्रमित की जाती है, पंजीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किये जाने के लिए दायी होगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ तथा के आधार पर इसे सत्यापित करता हूँ जिसकी एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर

मुहर सहित

स्थान:

तारीख:

टिप्पण: (1) आवेदन का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत सत्यापन का भाग और अनुपूरक सूचना प्ररूप भी है व्यक्ति की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा; साझेदारी कंपनी की दशा में, किसी प्रबंध साझेदार द्वारा; कम्पनी की दशा में, उस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में, कारोबार के संचालन के प्रभारी या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(2) आवेदन पत्र के साथ एक स्वयं का पता लिखा डाक टिकट लगा लिफाफा और पर्याप्त संख्या में डाक टिकट लगे लिफाफे, जो राज्यों जहाँ पर विनिर्माण परिसर अवस्थित हैं, पर निर्भर है, संलग्न किया जाना चाहिए।

प्रारूप-2

भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
पौध संरक्षण, संघरोध एवं भंडारण निदेशालय
केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति
एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001

कीटनाशियों के अनन्तिम पंजीकरण का प्रमाणपत्र

[नियम 6 का उपनियम (4) देखिए]

फा.सं.....

प्रमाणित किया जाता है कि कीटनाशी जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी दो वर्ष की अवधि के लिए उस व्यक्ति/उपक्रम के नाम में अनन्तिम रूप से कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 की उपधारा (3ख) के अधीन पंजीकृत किया गया है जिसकी विशिष्टियां नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

1. व्यक्ति/उपक्रम का नाम और पता:
2. रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र संख्या
3. आयात या विनिर्माण:
4. घरेलू उपयोग या निर्यात या दोनों:
5. कीटनाशी का नाम सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ:
(कीटनाशी का सामान्य नाम और व्यापारिक नाम,
विनिर्माता का अभिहित अंतर्वस्तु या प्रकार,
संरचना के ब्यौरे)
6. निर्मिति या पुनः पैकिंग में संपरिवर्तन किये जाने
वाले विनिर्माण परिसर/स्थान का पता:
7. आयात का स्रोत-
विदेशी विनिर्माता का नाम और पता के साथ:
(क) पंजीकरण संख्यांक:
(ख) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्यांक, तारीख और
विधिमान्यता की अवधि, यदि कोई हो:
(ग) पूर्तिकार का नाम और पता:
8. तकनीकी का स्रोत (आयात या घरेलू विनिर्माण विनिर्माता की दशा में)
9. पंजीकरण की शर्त(शर्तें):
स्थान: फरीदाबाद
जारी करने की तारीख.....

सचिव, पंजीकरण समिति
मुहर

प्ररूप-3

भारत सरकार
 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
 (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
 पौध संरक्षण, संघरोध एवं भंडारण निदेशालय
केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति
 एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001

कीटनाशियों के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
 [नियम 6 का उपनियम (4) देखिए]

फा.सं.....

प्रमाणित किया जाता है कि कीटनाशी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अधीन व्यक्ति/उपक्रम के नाम में पंजीकृत किया गया है जिसकी विशिष्टियां नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

1. व्यक्ति/उपक्रम का नाम और पता:
2. रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र संख्या
3. आयात या विनिर्माण:
4. घरेलू उपयोग या निर्यात या दोनों:
5. कीटनाशी का नाम सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ:
 (कीटनाशी का सामान्य नाम,
 विनिर्मिति का अभिहित अंतर्वस्तु या प्रकार,
 संरचना के ब्यौरे)
6. निर्मिति या पुनः पैकिंग में संपरिवर्तन किये जाने
 वाले विनिर्माण परिसर/स्थान का पता:
7. आयात का स्रोत-
 विदेशी विनिर्माता का नाम और पता के साथ:
 (क) पंजीकरण संख्यांक:
 (ख) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि, यदि कोई हो:
 (ग) पूर्तिकार का नाम और पता:
8. तकनीकी का स्रोत (आयात या घरेलू विनिर्माण विनिर्मिती की दशा में)
9. पंजीकरण की शर्त(शर्तें):

स्थान: फरीदाबाद

जारी करने की तारीख.....

सचिव, पंजीकरण समिति
 मुहर

प्ररूप-4

अपील का प्ररूप
(नियम 7 देखिए)

सेवा में,

सचिव,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

20..... की अपील सं. (प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम और पता:
2. कीटनाशी का नाम जिससे अपील संबंधित है:
3. आदेश की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई है:
4. पंजीकरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को प्राधिकृत वेबसाइट पर डालने की या पंजीकरण समिति के निर्णय के संसूचना की तारीख:
5. उपरोक्त 3 को ध्यान में रखते हुए, क्या अपील परिसीमा अवधि के भीतर है
(यदि नहीं, परिसीमा अवधि के पश्चात अपील दाखिल करने के लिए न्यायोचित्य संलग्न करें)
6. अपील में दावा किया गया अनुतोष:
(अपीलार्थी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथ्यों का संपूर्ण विवरण और अपील के आधार संलग्न करें)
7. पता जिस पर आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी:
(संबद्ध व्यक्ति का ई-मेल आई.डी., फ़ैक्स संख्यांक और मोबाइल संख्यांक भी प्रदान करें)
8. जमा की गई फीस का विवरण:

हस्ताक्षर(अपीलार्थी)

सत्यापन

मैं सुपुत्र अपीलार्थी यह सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर(अपीलार्थी)

टिप्पणः

अपील दो प्रतियों में की जानी चाहिए और उसके साथ आदेश की प्रति होनी चाहिए, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

अपील का प्ररूप, अपील का आधार और सत्यापन प्ररूप व्यक्ति की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; हिंदू अविभाजित कुटुंब की दशा में, कर्ता द्वारा, साझेदारी कंपनी की दशा में प्रबंध साझेदार द्वारा, कंपनी की दशा में, निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में, कारोबार के संचालन के प्रभारी या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए।

IndiaCode

प्ररूप-5

कीटनाशी के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन
(नियम 9 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और ई-मेल पता:
2. विनिर्माण परिसर का पता:
3. जमा की गई फीस का विवरण:
4. (क) कीटनाशी का नाम और उसका पंजीकरण संख्यांक:
(आवेदक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कीटनाशी के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
- (ख) क्या पंजीकरण अनंतिम है या नियमित:
(अनंतिम पंजीकरण की दशा में विधिमान्यता की तारीख उपदर्शित करें)
- (ग) उपरोक्त इकाई में कीटनाशी के विनिर्माण और परीक्षण में लगे हुए पूर्णकालिक विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द का ब्यौरा:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अर्हता	अनुभव

- (घ) क्या कीटनाशी नियम, 1971 के अध्याय 8 में उल्लिखित कीटनाशी के विनिर्माण के लिए सुविधाएं जिसमें अवसंरचना भी है, का ब्यौरा दिया गया है:
(आवेदक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित पृथक पन्ने पर सम्पूर्ण ब्यौरे संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सुपुत्र/पुत्री/पत्नी सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि आवेदन और उपाबंध तथा उनके साथ विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि यदि कोई सूचना या उसका भाग, किसी भी प्रक्रम पर गलत, जाली या मिथ्या पाये जाते हैं या अनुज्ञप्ति की कोई शर्त अतिक्रमित की जाती है, यह अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि हमारे द्वारा विनिर्मित कीटनाशी के स्टॉक के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा है जिससे शेल्फ पर उसकी क्वालिटी बनी रहे और किसी भी दशा में वितरक या डीलर या व्यक्ति को जिसके पास उसके स्टॉक के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा नहीं है जिससे शेल्फ पर उसकी क्वालिटी बनी रहे, की पूर्ति नहीं की जाएगी।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं के रूप में अपनी हैसियत से यह आवेदन कर रहा हूँ और यह कि मैं के आधार पर इस आवेदन को करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। जिसकी एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

मुहर सहित हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

प्ररूप-6

(अनुज्ञापक अधिकारी का पत्रशीर्ष)
कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति
 (नियम 9 का उप-नियम (3) देखिए)

1. अनुज्ञप्ति संख्यांक:.....

..... पर स्थित (पिन कोड के साथ सम्पूर्ण पता) परिसर पर निम्नलिखित कीटनाशी (कीटनाशियों) के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति मैसर्स को प्रदान की जाती है जैसा नीचे विनिर्दिष्ट है-

क्र.सं.	कीटनाशी का विवरण	पंजीकरण संख्यांक	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता

2. कीटनाशी (कीटनाशियों) का विनिर्माण निम्नलिखित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द के निर्देशन और पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

कीटनाशियों का नाम और विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द के नाम एवं पदनाम:

3. अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, साथ ही नीचे विवरणित शर्तों के अध्यधीन होगी।

हस्ताक्षर अनुज्ञापक अधिकारी

मुहर

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति उस परिसर में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है, रखी जाएगी और कीटनाशी निरीक्षक, अनुज्ञापक अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति में वर्णित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट तत्काल अनुज्ञापक अधिकारी को दी जाएगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी के पंजीकरण की प्रत्येक शर्त का निष्ठा से पालन करेगा जिसके न हो सकने पर कीटनाशी की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी।

4. अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों और उसके अधीन निर्मित तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा।
5. अनुज्ञप्त परिसर, कारखाना परिसर में विनिर्मित कीटनाशी के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक व्यापार के माध्यम से विक्रय के लिए भण्डारण और स्टॉकिंग के लिए भी अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकृत होगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण प्रारंभ होने के तीन मास के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो से आई.एस.आई. मार्क प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
7. कीटनाशी आई.एस.आई. मार्क प्रमाणपत्र के बिना विक्रय या वितरित नहीं किया जाएगा।
8. कोई अन्य शर्त(शर्तें) अनुज्ञापक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

अनुज्ञापक अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

प्ररूप-7

कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय के लिए स्टॉक या प्रदर्शन या वितरण के लिए
 अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन
 वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए कीटनाशियों के स्टॉक और
 उपयोग की अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन
 (नियम 10 का उपनियम (1) और (3क) देखिए)

आवेदक का
 फोटो

सेवा में,

अनुज्ञापक प्राधिकारी

.....

.....

1. आवेदक का नाम, पता और ई-मेल पता:

2. क्या आवेदन

(क) कीटनाशियों के विक्रय/विक्रय के लिए स्टॉक/प्रदर्शन/

वितरण की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए है:

(ख) वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए

अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण के लिए है:

(ग) या दोनों के लिए है:

3. आवेदक/आवेदक के नियोजन के अधीन तकनीकी व्यक्ति की अर्हता (न्यूनतम अर्हता कृषि या रसायन या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री होगी)

4. प्रशिक्षण

(क) प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम का नाम:

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि:

(ग) प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, यदि कोई हो

(समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

5. वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं की दशा में,

(क) पंजीकृत, आंचलिक और शाखा कार्यालय का पता:

(ख) परिसर का पता, जिसके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है:

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञ का अनुमोदन प्राप्त किया गया:

(घ) यदि हाँ, अनुमोदन की संदर्भ संख्या, उसकी

तारीख और विधिमान्यता का उल्लेख करें:

(ङ) निबंधित कीटनाशी का नाम जिसके लिए अनुमोदन हुआ है:

(च) उत्तरदायी तकनीकी व्यक्ति का नाम:

(छ) क्या निबंधित कीटनाशी का कोई परिमाण आवेदन की तारीख को कब्जे में है:

(ज) यदि हाँ, प्रत्येक कब्जे की विशिष्टियाँ और संबंधित परिमाण दें:

(झ) सुरक्षा उपस्कर, विषहर और सभी अन्य आवश्यक सुविधाओं के ब्यौरे

(समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

6. कीटनाशी (कीटनाशियों) और उसका/उसके विनिर्माता/आयातकर्त्ता का नाम जिसके साथ आवेदक कारोबार करने का आशय रखता है तथा मूल प्रमाणपत्र की स्थिति:

क्र.सं.	कीटनाशी का विवरण	विनिर्माता का नाम	पंजीकरण संख्यांक	मूल प्रमाणपत्र के ब्यौरे, संख्यांक/जारी करने की तारीख/विधिमान्यता

7. परिसर का सम्पूर्ण पता (जिसके अन्तर्गत गली का नाम, पिन कोड, इत्यादि भी हैं) जहाँ कीटनाशी (कीटनाशियों) का:

(क) भंडारण/स्टाक किया जाएगा:

(ख) वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं की दशा में

विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा उपयोग के

लिए जारी किया जाएगा:

(ग) क्या उपरोक्त में से कोई भी परिसर आवासीय क्षेत्र में स्थित है:

(घ) क्या उपरोक्त में से किसी परिसर में खाद्य वस्तुओं का भी भण्डारण किया जाता है:

8. यदि आवेदक के नाम से किसी अन्य राज्य द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्ति (अनुज्ञप्तियाँ) जारी की गई हैं तो, उसका पूर्ण विवरण:

9. नवीकरण की दशा में, कृपया अनुज्ञप्ति संख्यांक

और प्रदान करने की तारीख का उल्लेख करें:

10. आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस का विवरण:

(क) खजाना चालान/मांगदेय ड्राफ्ट या संदाय

आदेश संख्यांक, तारीख और रकम:

(ख) उप-खजाना, खजाना चालान की दशा में कोई अन्य सुसंगत सूचना:

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है, और इसमें कुछ असत्य या विथारित नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि यदि कोई सूचना गलत, जाली या मिथ्या पायी जाती है या यदि कोई सूचना विथारित की गई पायी जाती है अथवा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया जाता है, मुझे जारी की गई अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कब्जे में कोई स्टाक मेरे द्वारा उसकी क्वालिटी के साथ संतुष्टि के बिना नहीं लूँगा।

मैं वचन देता हूँ मैं उत्तरदायी तकनीकी व्यक्ति (वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए आवेदनों की दशा में) के किसी परिवर्तन की सूचना तत्काल अनुज्ञापक अधिकारी को दूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अनुज्ञप्ति में अधिकथित शर्तों का पालन करूँगा और ऐसा करने में चूक अनुज्ञप्ति को रद्दकरण हेतु उत्तरदायी बना देगी।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-8

कीटनाशियों के विक्रय, स्टोक या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा वितरण के लिए अनुज्ञप्ति, जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रक संक्रियाओं के लिए कीटनाशियों का स्टोक और उपयोग भी है

[नियम 10 का उपनियम (3क) और (4) देखिए]

अनुज्ञप्ति संख्यांक:.....

..... पर स्थित परिसर
पर

(पिन कोड के साथ सम्पूर्ण पता)

निम्नलिखित कीटनाशी (कीटनाशियों) के खुदरा द्वारा विक्रय, स्टोक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अथवा वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं को चलाये जाने के लिए अनुज्ञप्ति मैसर्स..... को प्रदान की जाती है जैसा विनिर्दिष्ट है:-

क्र.सं.	कीटनाशी का विवरण	पंजीकरण संख्यांक	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख

2. अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और साथ ही नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

स्थान:

तारीख:

अनुज्ञापक अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति परिसर के सहसदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
2. कीटनाशी को वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं में प्रयोग के लिए समय-समय पर पंजीकरण समिति के द्वारा अनुमोदित पैकेजों के सिवाय विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शित या वितरित अथवा जारी नहीं किया जाएगा।
3. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के दौरान कोई अतिरिक्त कीटनाशी विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण अथवा वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए प्रयोग करना चाहता है तो

वह प्रत्येक ऐसे कीटनाशी के लिए विहित फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

4. नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 10 के उप-नियम (3 क) उल्लिखित उपबंधों के तहत किया जाएगा।

5. कोई अन्य शर्त (शर्तें) अनुज्ञापक अधिकारी द्वारा विहित की जा सकेंगी।

अनुज्ञापक अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

IndiaCode

प्ररूप-9**विनिर्माता का पत्रशीर्ष****मूल प्रमाणपत्र**

[नियम 10 के उपनियम (4 क) का खंड (i) देखिए]

सं.

तारीख:

हम नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित कीटनाशी(कीटनाशियों) का विनिर्माण करते हैं:

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम (व्यापारिक नाम यदि कोई हो, कोष्ठक में उल्लिखित करें)	विनिर्माण परिसर का पता	अनुज्ञप्ति संख्यांक	जारी करने की तारीख	विधिमान्यता की अवधि	अनुज्ञापक प्राधिकारी का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. हम मैसर्स को हमारे द्वारा विनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों को तालुका/जिला/राज्य जिनका नीचे ब्यौरा दिया गया है में थोक या खुदरा में विक्रय, स्टोक या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा वितरित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम (व्यापारिक नाम यदि कोई हो, कोष्ठक में उल्लिखित करें)	पंजीकरण संख्यांक और जारी करने की तारीख	विनिर्माण अनुज्ञप्ति की संख्या और जारी करने की तारीख	तालुका और जिला का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. उपरोक्त वर्णित डीलर, उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों को प्राप्त करेगा

(क) हमारे से सीधे:

(ख) निम्नलिखित वितरक (वितरकों) से:

क्र.सं.	वितरक (वितरकों) का नाम	वितरक (वितरकों) का सम्पूर्ण पता	उपरोक्त कीटनाशियों के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति संख्यांक और तारीख	अनुज्ञप्ति की वैधता की तारीख	परिसर का सम्पूर्ण पता, जहां वितरक (वितरकगण) कीटनाशकों का स्टोक कर रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. डीलर, जिसको मूल प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उपरोक्त वर्णित वितरक से उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों को प्राप्त करेगा। इन कीटनाशियों को किसी अन्य वितरक से प्राप्ति की दशा में यह प्रमाणपत्र अमान्य और शून्य हो जाएगा।

5. यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, हम प्रमाणित करते हैं कि हमने यह निरीक्षित और सुनिश्चित कर लिया है कि उपरोक्त वर्णित वितरकों और डीलरों के पास उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों के स्टॉक के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा है जिससे शैल्फ पर उनकी क्वालिटी अनुरक्षित रहे और इस आशय का वचन प्राप्त किया है कि कीटनाशी(कीटनाशियों) का स्टॉक तदुसार किया जाएगा कि प्रत्येक परिस्थिति के अधीन शैल्फ पर उनकी क्वालिटी बनी रहे।

6. यह प्रमाणपत्र वितरक/डीलर को उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों के विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाये जाने के लिए जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए स्टॉक और उपयोग भी शामिल है, और इसकी विधिमान्यता तक होगी (विधिमान्यता की तारीख)

तारीख:

स्थान:

कम्पनी की मुहर के साथ

हस्ताक्षर

सेवा में,

वितरक/डीलर का नाम और पता

प्रतिलिपि सूचना के लिए:

(i) अनुज्ञापक अधिकारी, ...

(ii) मैसर्स (वितरक और उसका पता), यदि कीटनाशियों का प्रदाय वितरकों के माध्यम से किया जाना है) ।

प्ररूप- 10

**कीटनाशियों के स्टार्कों के संबंध में विनिर्माताओं/डीलरों/फुटकर
विक्रेताओं द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण
[नियम 10 (7) देखिए]**

मैं पुत्र/पुत्री स्थान
..... पर विनिर्माण/वितरण/खुदरा यूनिट रखने के लिए
अनुज्ञप्ति रखता हूँ, यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कीटनाशी नियम, 1971 द्वारा विहित रूपविधान में अपने
हस्ताक्षर से सभी रजिस्टर बनाकर रखे हैं।

2. रजिस्टर मेरी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये हैं और कीटनाशी निरीक्षक, अनुज्ञापक अधिकारी या इस
निमित्त केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच के लिए
देखे जा सकते हैं।

स्थान:

तारीख:

कम्पनी की मुहर के साथ

हस्ताक्षर"।

प्ररूप-11

अवसान हो गए कीटनाशियों का रजिस्टर
[नियम 10(क) का उपनियम (क) और (ख) देखिए]

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम (यदि विनिर्मित हो, उसके लिए ब्यौरे)	बैच संख्यांक	विनि- र्माण की तारीख	अवसान की तारीख	विनिर्माता का नाम	प्राप्त किए गए स्टाक और प्राप्त किया गया परिमाण (यूनिट का ब्यौरा दें)	बीजक संख्यांक और तारीख जिसके द्वारा प्राप्त किया गया है	विक्रय किया गया परिमाण (यूनिट का ब्यौरा दें)	अतिशेष परिमाण का (यूनिट ब्यौरा दें)	अतिशेष परिमाण किस प्रकार निपटाया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

डीलर के हस्ताक्षर
तारीख और मुहर के साथ

अभिलेख के साथ सत्यापित किया गया और यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना सही है

स्थान:

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक के हस्ताक्षर
(मुहर)

**कीटनाशियों (तकनीकी और विनिर्मिति) के विक्रय/वितरण के लिए रजिस्टर (जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक
कीटनाशी नियंत्रण संक्रियाओं में प्रयोग किए गए कीटनाशी भी हैं)
(कीटनाशी-वार अभिलेख रखा जाना चाहिए)
(नियम 15 देखिए)**

कीटनाशी की विशिष्टियां
पंजीकरण संख्यांक
माह और वर्ष

क्र. सं.	कीटनाशी प्राप्त करने की तारीख	विनिर्माण का नाम जिससे प्राप्त किया गया ।	पूर्ति-कार/ वितरक का नाम, आदि कोई हो, जिससे प्राप्त किया गया	बैच सं.	विनि- र्माण की तारीख	अवसान की तारीख	बीजक व्यौरे संख्यांक, तारीख और परिणाम (मीट्रिक टन जिसके द्वारा पूर्ति प्राप्त की गई)	परिमाण (मीट्रिक टन)	बिल संख्यांक (नाम और पता जिसे बेचा/वितरित किया गया) विक्रय/वितरित किए गए परिमाण की तारीख और परिमाण	टिप्पणियां		
								पिछला शेष (बी.एफ.) यदि कोई हो	प्राप्त किया	विक्रय/ वितरित किया गया	अति शेष	

हस्ताक्षर

कंपनी की मुहर

अभिलेख के साथ सत्यापित किया गया और यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना सही है।

कीटनाशी निरीक्षक की तारीख और मुहर के साथ हस्ताक्षर

प्ररूप-13**तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का स्टॉक रजिस्टर**

[नियम 15 देखिए]

तारीख	आरम्भिक अतिशेष	आयातित परिमाण	विनिर्मित परिमाण	कुल परिमाण (2+3+4)	विक्रय किया गया परिमाण	विनिर्मिति के लिए उपयोग किया गया परिमाण	कुल परिमाण (6+7)	अंतिम अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(मीट्रिक टन में परिमाण)

[नियम 15 देखिए]

[illegible]

प्रारूप-15

[नियम 15 देखिए]

तारीख से तारीख तक की अवधि के लिए आयातित/विनिर्मित
तकनीकी श्रेणी कीटनाशियों की मासिक विवरणी/विवरण

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम	बैच संख्यांक	अवसान की तारीख	कुल आयात/विनिर्मित किए गए परिमाण* के ब्यौरे	विनिर्मित के लिए उपयोग किया गया परिमाण*	विक्रय किया गया परिमाण*, क्रेता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*(मीट्रिक टन में परिमाण)

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है वह अभिलेख से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से इस विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

मुहर

कीटनाशी विश्लेषक के हस्ताक्षर

मुहर

प्ररूप-16

[नियम 15 देखिए]

तारीख से तारीख की अवधि के लिए
विनिर्मिति कीटनाशियों के लिए मासिक विवरणी/विवरण

क्र.सं.	विनिर्मिति कीटनाशी का नाम	बैच संख्यांक	अवसान की तारीख	विनिर्मिति के लिए उपयोग किए गए तकनीकी श्रेणी कीटनाशी के कुल परिमाण* के ब्यौरे	कुल विनिर्मिति किया गया परिमाण*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*(मीट्रिक टन में परिमाण)

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है वह अभिलेख से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से इस विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

मुहर

प्ररूप-17

कीटनाशी विश्लेषक की रिपोर्ट

[नियम 24 देखिए]

क्रम. सं.

भाग क- संहिताकृत भाग *

1. कीटनाशी निरीक्षक का नाम जिससे

नमूना प्राप्त किया गया:

2. कीटनाशी निरीक्षकों के ज्ञापन की

क्रम संख्यांक और तारीख:

3. नमूने का ब्यौरा:

(क) उन तकनीकी श्रेणी के कीटनाशक (कीटनाशकों)

का नाम जिनका नमूने में पाए जाने का उल्लेख
किया गया है और उसकी आंशिक मात्रा तथा तैयार
करने का तरीका:

(ख) बैच संख्यांक:

(ग) विनिर्माण की तारीख:

(घ) अवसान की तारीख:

4. कीटनाशी निरीक्षक द्वारा समनुदेशित नमूने की पहचान संख्या या चिह्न:

5. नमूने की पैकेजिंग:

(क) क्या सुरक्षात्मक रूप से पैक, बंधा हुआ और सीलबन्द था:

(ख) क्या केवल बाहरी आवरण सीलबन्द था:

(ग) क्या केवल नमूने को सीलबंद किया गया था:

(घ) क्या बाहरी आवरण और नमूने दोनों सीलबंद थे:

(ङ) क्या सील अक्षत और अखण्डित थी:

(च) क्या नमूने और बाहरी आवरण पर सील

(जैसा भी मामला हो) नमूना सील के

साथ मेल खाती थी:

(छ) पार्सल में नमूने की पैकेजिंग का सामान्य ब्यौरा दें:

(ज) क्या नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त पाया गया :

6. उपरोक्त वर्णित नमूने को प्रयोगशाला कोड संख्यांक दिया गया:

कोडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर के साथ

*कोडिंग अधिकारी के रूप में अधिसूचित कीटनाशी विश्लेषक (प्रयोगशाला प्रभारी) द्वारा भरा जाए और हस्ताक्षरित किया जाए।

भाग-ख विश्लेषण प्रभाग

7. नमूने के लिए प्रयोगशाला कोड संख्यांक:

क्र.सं.	परीक्षण	अपेक्षाएं	परिणाम
(क)	सक्रिय संघटक: (ग्राफ संलग्न करें, यदि लागू हो)		
(ख)	अन्य परीक्षण:		
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		

8. परीक्षण (परीक्षणों) के लिए लागू किए गए न्याचार:

(क) सक्रिय संघटक (संघटकों) के लिए:

(क) यदि प्रकाशित किए गए, भारतीय मानक ब्यूरो संख्यांक:

(ख) यदि नहीं, पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित रीति:

(ख) अन्य परीक्षणों के लिए:

9. नमूने के परीक्षण/विश्लेषण पूर्ण किए गए:

टिप्पणियां: 1. न्याचार की बाबत नमूने के परीक्षण/विश्लेषण के परिणाम को देखते हुए, नमूना के रूप में घोषित किया गया है।

2. मानकों के लिए क्रोमाटोग्राम/स्पेक्ट्रा की फोटो प्रतियां (किए गए परीक्षण पर लागू न्याचार के अनुसार जैसा लागू हो) और नमूना इसके साथ संलग्न है।

कीटनाशी विश्लेषक के हस्ताक्षर
मुहर

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पूर्वोक्त वर्णित नमूने का विश्लेषण किया है/विश्लेषण करवाया है और घोषणा करता हूँ कि विश्लेषक के परिणाम पूर्वोक्त वर्णित के रूप में हैं।

तारीख, 20 को हस्ताक्षरित किया गया।

कीटनाशी विश्लेषक के हस्ताक्षर
मुहर

प्ररूप-18

आदेश, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह

अपने कब्जाधीन किसी स्टाक का निपटान न करे

[नियम 30 देखिए]

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि निम्नलिखित कीटनाशियों का स्टाक, जो आपके कब्जे में है, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा के या कीटनाशी नियम, 1971 के के उपबंधों के उल्लंघन में स्टाक, वितरण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन और उपयोग किया गया है:-

क्र.सं.	सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ कीटनाशी का नाम	के द्वारा विनिर्मित किया गया	बैच संख्यांक	विनिर्माण की तारीख और अवसान की तारीख	तारीख पर यथा स्टाक परिमाण (यूनिट भी उपदर्शित करें)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैं आपसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त स्टाक का इस तारीख से 20..... से दिन की अवधि तक वितरण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन या उपयोग रोक दें।

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

प्ररूप-19**अभिगृहीत कीटनाशियों की रसीद का प्ररूप**

[नियम 32 देखिए]

मैंने आज तारीख 20..... को मैसर्स.....के.....
स्थित परिसर से कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 की उप धारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीन
कीटनाशी का स्टॉक अभिगृहीत किया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सम्पूर्ण ब्यौरे जैसे शुद्धता विनिर्मिति का प्रकार आदि के साथ कीटनाशक का नाम	के द्वारा निर्मित	बैच संख्यांक	विनिर्माण की तारीख और अवसान की तारीख	तारीख पर स्टॉक का परिमाण (यूनिट भी उपदर्शित करें)	टिप्पणियां (स्टॉक रजिस्टर का पृष्ठ/फोलियो संख्यांक उल्लिखित करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैंने कीटनाशी के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ/फोलियो संख्यांक पर तारीख व मुहर के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभिलेख के लिए उसकी एक कापी ले ली है।

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

प्ररूप-20

उस व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना जिससे नमूना लिया गया है

[नियम 33 देखें]

सेवा,

मैसर्स

.....

पिन

मैंने आज तारीख 20..... को परिसर (अनुज्ञप्ति संख्यांक तारीख), जो में स्थित है, से नीचे विनिर्दिष्ट कीटनाशी के नमूने परीक्षण या विश्लेषण हेतु लिए हैं:

1. कीटनाशी का सामान्य नाम:

(सम्पूर्ण ब्यौरे, जैसे विनिर्मिति का प्रकार उल्लिखित करें)

2. व्यापारिक नाम, यदि कोई हो:

3. द्वारा विनिर्मिति की गई:

4. पंजीकरण संख्यांक:

5. द्वारा बेची गई:

6. वितरण अनुज्ञप्ति संख्यांक:

7. बैच संख्यांक:

8. विनिर्माण की तारीख:

9. अवसान की तारीख:

10. नमूने के पहले स्टोक:

(यूनिट में उल्लिखित करें)

11. लिए गए नमूने का परिमाण:

(यूनिट में उल्लिखित करें)

12. नमूने के पश्चात स्टोक

(यूनिट में उल्लिखित करें)

13. स्टोक रजिस्टर के फोलियो/पृष्ठ संख्यांक:

14. कोई अन्य सुसंगत सूचना:

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

1. साक्षी के

हस्ताक्षर.....

(तारीख, नाम और पता)

2. साक्षी के

हस्ताक्षर.....

(तारीख, नाम और पता)

इस प्ररूप की प्रति के साथ नमूने का एक सीलबन्द प्रभाग प्राप्त किया

सील और तारीख के साथ उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे नमूना लिया गया है

प्ररूप-21**कीटनाशी विश्लेषक को ज्ञापन**

[नियम 34 देखिए]

सेवा में,

.....

(कीटनाशी निरीक्षक का नाम, सम्पूर्ण पता और ई-मेल आई.डी.)

सेवा में,

कीटनाशी विश्लेषक,

.....

.....

पिन:

नीचे वर्णित नमूने/आधान के प्रभाग को कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 34 के अधीन परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है।

(क) कीटनाशी का सामान्य नाम:

(सम्पूर्ण व्यौरें उल्लिखित करें, जैसे-अभिहित अन्तर्वस्तु,
विनिर्मिति के प्रकार, आदि)

(ख) बैच संख्यांक:

(ग) विनिर्माण की तारीख:

(घ) अवसान की तारीख:

(ङ) नमूने की पैकिंग का उल्लेख करें:

2. नमूने/आधान के भाग को मेरे द्वारा निम्नलिखित संख्यांक समनुदेशित या चिह्न के साथ चिह्नांकित किया गया है:

(संख्यांक या चिह्न यहां दें)

3. इस ज्ञापन की एक प्रति, प्ररूप 20 की प्रति के साथ अलग से पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजी गयी है।

स्थान:

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

प्ररूप-22**कीटनाशियों से संबंधित कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों का रजिस्टर**

कैलेंडर वर्ष 20...., की..... 20..... को समाप्त तिमाही के लिए
आवधिक चिकित्सा परीक्षण का अभिलेख
[नियम 37 देखिए]

क्रम संख्यांक:

I. सामान्य सूचना

नाम:

आयु:

पिता/पति का नाम:

सम्पूर्ण पता:

लिंग:

पहचान चिह्न:

नियुक्ति की तारीख:

उपजीविका:

(कृपया विगत समय में और वर्तमान के कार्यों की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्करों के ब्यौरे

1. भूत

2. वर्तमान

(क) संरक्षी वस्त्र/समावेशक:

(ख) हेलमेट/टोप/टोपी:

(ग) धूल रोधक चश्में:

(घ) तरल अपारगम्य रबर के दस्ताने:

(ङ) श्वसन उपकरण:

(च) जूते:

II. चिकित्सा परीक्षण

पिछला वृत्तांत

बीमारी	विषाक्तता	एलर्जी	कीटनाशियों के संपर्क में आना (सम्मिश्रण)	वर्षों की संख्या/मौसम प्रतिवर्ष संपर्क में आने वाले दिन	टिप्पणियां यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

पारिवारिक वृत्तांत

एलर्जी	मनोवैज्ञानिक विकार	रक्तस्रावी (हेमोरेजिक) विकार	अनुर्वरता/रोगाणुहीनता	जन्मदोष	कैंसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

व्यक्तिगत वृत्तांत

धूम्रपान	अल्कोहल	अन्य व्यसन	वैवाहिक प्रास्थिति	बालकों की सं. - बालकों की स्वास्थ्य प्रास्थिति और कोई जन्मदोष, यदि कोई हो	स्वास्थ्य से संबंधित कोई अन्य शिकायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

संप्रेक्षण

चिकित्सा परीक्षण	पूर्व-नियोजन परीक्षण	पहली तिमाही की समाप्ति अर्थात् 3 मास पश्चात	दूसरी तिमाही के पश्चात अर्थात्, 6 मास पश्चात	तीसरी तिमाही के पश्चात अर्थात्, 9 मास पश्चात	वर्ष के अन्त में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. सामान्य परीक्षण

- (क) ऊंचाई
- (ख) वजन
- (ग) नाड़ी दर
- (घ) रक्त दाब
- (ङ) श्वसन; दर, लय, प्रकार

- (च) अरक्तता/पीताभता
- (छ) शौध
- (ज) पीलिया
- (झ) त्वचा की स्थिति
- (ञ) ताप
- (ट) कुलानितशीलता(थकान)
- (ठ) श्वेदन
- (ड) निद्रा
- (ढ) मूत्र

2. अमाशय तथा आंत संबंधी (जठरांत्र)

- (क) मचली
- (ख) वमन
- (ग) क्षुधा
- (घ) स्वाद
- (ङ) उदर वेदना
- (च) आंत गति
- (छ) जिगर
- (ज) तिल्ली

3. हृदय-श्वसन

- (क) नासा स्राव
- (ख) घरघराहट
- (ग) कफ
- (घ) खखार
- (ङ) छाती का खिंचाव
- (च) श्वसारोध
- (छ) धड़कन
- (ज) हृदय
- (झ) देहनीलता
- (ञ) अतिहतस्पंदन/हृदयमंदता

4. स्नायु-मांसपेशीय

- (क) शिरोवेदना
- (ख) घुमनी
- (ग) चिड़चिड़ापन
- (घ) स्फुरण
- (ङ) कम्पन
- (च) ऐंठन

- (छ) विकृतानुभूति
- (ज) दृष्टिभ्रम
- (झ) चेतनाहीनता
- (ञ) उपरिष्ठ स्वतः क्रिया
- (ट) गंभीर स्वतः क्रिया
- (ठ) समन्वय

5. नेत्र

- (क) पुतली
- (ख) अक्षु स्त्रवण
- (ग) द्विदृष्टि
- (घ) अस्पष्ट दृष्टि

6. मनोवैज्ञानिक

- (क) स्वभाव
- (ख) निर्णय
- (ग) विक्षोभ

7. वृक्क

- (क) वृक्क दशा

8. अन्वेषण

- (क) संपूर्ण हीमोग्राम (एच बी, टीआरबीसी, टीएलसी, डीएलसी, प्लैटेलेट्स, रैटीक्यूलाइटिस, ईएसआर)
- (ख) यकृत कार्य परीक्षण (सीरम बिलिरूबिन, एसएपी, एसजीओटी, एसजीपीटी, कौलेस्ट्रॉल, कुल प्रोटीन और सीरम एलब्यूमिन)
- (ग) वृक्क कार्य परीक्षण (रक्त यूरिया, सीरम क्रेटेनाइन)
- (घ) ब्लड शुगर, एचबीए१सी
- (ङ.) सीरम कोलीनैसट्राइस*
- (च) रक्त अवशिष्ट प्राक्कलन** (ओरगेनीक्लोरिन की दशा में वर्ष में एक बार)
- (छ) मूत्र-नेमी और सूक्ष्मदर्शीय (ज) छाती का एक्स-रे (पीए व्यू): वर्ष में एक बार
- (झ) संपूर्ण पेट का अल्ट्रासाउंड : वर्ष में एक बार

*आर्गेनोफोस्फोरस/कार्बोमेट समूह के कीटनाशियों की दशा में सीरम कोलिनोस्टरेज स्तर का मापन मासिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए। उपर्युक्त परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की सामान्य टिप्पणियां:

**आर्गेनोक्लोरीन समूह के कीटनाशियों की स्थिति में रक्त अवशेष प्राक्कलन एक वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

3. निदान

4. निम्नलिखित को सलाह दी गई

1. कर्मचारी :
2. नियोजक

चिकित्सक के हस्ताक्षर
तारीख और मुहर के साथ

5. निम्नलिखित के द्वारा अभिस्वीकृति दी जाएगी
 1. कर्मचारी :
 2. नियोजक:
 3. अनुज्ञापक अधिकारी
6. चिकित्सक के परामर्श पर नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई
7. चिकित्सक द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ने मेरे/चिकित्सक द्वारा दिए गए उपरोक्त परामर्श के अनुसार कार्रवाई पूरी कर ली है और परिणामस्वरूप रोगी की बीमारी में सुधार/पुनः निरोग दर्शित हुआ है।

चिकित्सक के हस्ताक्षर
तारीख और मुहर के साथ.”

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-I खंड-II]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख, 24 जुलाई, 1976
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख, 09 दिसम्बर, 1977
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख, 07 नवम्बर, 1988
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख, 06 अगस्त, 1993
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख, 20 मई, 1999
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख, 20 मई, 1999
7. सा.का.नि. 548(अ), तारीख, 12 सितम्बर, 2007
8. सा.का.नि. 692(अ), तारीख, 07 नवम्बर, 2006
9. सा.का.नि. 128(अ), तारीख, 26 फरवरी, 2009
10. सा.का.नि. 174(अ), तारीख, 05 मार्च, 2010
11. सा.का.नि. 474(अ), तारीख, 11 जुलाई, 2013 और
12. सा.का.नि. 797(अ), तारीख, 13 नवम्बर, 2014

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2015

G.S.R. 840(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) was published in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) vide number G.S.R.92(E), dated the 13th February, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13th February, 2015, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13th April, 2015;

And whereas, objections and suggestions were duly considered in respect of the said notification;

Whereas, the Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules without consultation with the Board;

In terms of proviso to section 36 of the Act, the Board shall be consulted within six months of making of the rules and the Central Government shall take into consideration any suggestions which the Board may make in relation to the amendments of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971,-
 - (1) in rule 6, in sub-rule (4) for the words, numbers and letter “Form II or Form IIA”, the words and numbers “Form II or Form III” shall be substituted;
 - (2) in rule 7, in sub-rule (1), for the word, number and letter “Form IIB”, the word and number “Form IV” shall be substituted;
- (3) in rule 9-
 - (i) in sub-rule (1) –
 - (a) the words “or renewal” and “,as the case may be, ” shall be deleted;
 - (b) for the words and numbers “Form III or Form IV”, the word and number “Form V” shall be substituted;
 - (ii) in sub- rule (3) –
 - (a) for the word and number “Form V”, the word and number “Form VI” shall be substituted;
 - (b) in clause (i), the words “ and any certificate of renewal” shall be deleted;
 - (c) clause (iv) shall be deleted;
 - (iii) after sub-rule (4A), the following sub- rule shall be inserted, namely:-

“(4B) A person who applies for manufacturing licence shall possess or shall employ a person possessing Master’s degree in Chemistry with a Doctorate or a graduate degree in Chemical Engineering for manufacture of technical grade pesticides or a graduate degree in Agriculture Science with Chemistry for manufacture of pesticide formulation:

Provided that a person possessing a manufacturing licence on the date of notification of this sub-rule shall be allowed a period of two years to comply with the educational qualification.”;

(4) in rule 10 -

- (i) in sub rule (1) ,-
 - (a) for the words and numbers “Form VI and Form VII”, the word and number “Form VII” shall be substituted;
 - (b) the words “ or renewal” and “,as the case may be, “ shall be deleted;
- (ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) A person who applies for the grant of licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall possess or shall employ a person possessing a graduate degree in Agricultural Sciences or Biochemistry or Biotechnology or Life Sciences or in Science with Chemistry or Botany or Zoology as the minimum qualification:

Provided that all retailers or dealers possessing a valid licence as on the date of notification of this sub-rule shall be allowed a period of two years to comply with the educational qualifications.”;

(iii) in sub-rule (2), the words “or renewal” shall be deleted;

(iv) in sub-rule (3A),-

(a) in clause (i), for the words, numbers and letters “Form VIA” and “Form VIB”, the word and number “Form VII” shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the word, number and letter “Form VIC”, the word and number “Form VIII” shall be substituted;

(v) in sub-rule (4A), in clause (i) -

(a) for the word, number and letter “Form VID”, the word and number “Form IX” shall be substituted;

(b) the words “or renewal” shall be deleted;

(vi) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(7) A certificate shall be submitted by all licencees under rule 9 and rule 10 in Form X to the licensing authority every year. The licensing officer shall conduct inspection of infrastructure, premises, stocks and records at least once every two years.”;

(5) in rule 10 (A), to sub-rule (a), the following sentence shall be added at the end, namely: -

“A record of all such stocks shall be maintained in Form XI.”;

(6) in rule 11, -

(i) for sub-rule (a), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(a) A licence to manufacture insecticides, if any, issued on the basis of provisional registration granted under sub-section (3B) of section 9, shall expire on the date of expiry of the provisional registration. A licence granted by endorsement on the main licence shall expire along with the main licence.”;

(ii) in sub-rule (b), -

(a) after the words “renewal of a licence” the words “in case of pest control operators” shall be inserted;

(b) in clause (i), the words “to manufacture insecticides or” shall be deleted ;

(c) clause (ii) shall be deleted;

(7) in rule 15, -

(i) in sub-rule (2), for the word and number “Form XIII”, the word and number “Form XII” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the word and number “Form XV” and “Form XVI”, the word and number “Form XIII” and “Form XIV” shall be substituted respectively;

(iii) in sub-rule (4), for the words, numbers and letters “Form XVA and XVIA”, the words and numbers “Form XV and XVI” shall be substituted;

(8) in rule 24, in sub-rule (3), for the word and number “Form IX”, the word and number “Form XVII” shall be substituted;

(9) in rule 30, for the word and number “Form X”, the word and number “Form XVIII” shall be substituted;

(10) in rule 32, for the word and number “Form XI”, the word and number “Form XIX” shall be substituted;

(11) in rule 33, for the word and number “Form XII”, the word and number “Form XX” shall be substituted;

(12) in rule 34,-

(i) in sub-rule (1), for the word and number “Form XII”, the word and number “Form XX” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the word and number “Form XIII”, the word and number “Form XXI” shall be substituted;

(13) in rule 37, in sub-rule (1), for the word and number “Form XVII”, the word and number “Form XXII” shall be substituted;

(14) for the “THE FIRST SCHEDULE”, the following schedule shall be substituted, namely :-

“THE FIRST SCHEDULE

FORM I**APPLICATION FOR REGISTRATION OF INSECTICIDES**

[See rule 6]

1. (a) Name and address of the applicant:
 - (b) e-mail address:
 - (c) Permanent Account Number (PAN):.
 - (d) Category of Application:
2. The common name of the Insecticides
which the applicant proposes to import or manufacture:
3. Nature of application:
 - (a) import or manufacture:
 - (b) registration under section 9(3)/9(3B)/9(4)
of the Insecticides Act, 1968:
 - (c) name of registered insecticide and registrant,
if equivalence is claimed:
 - (d) specify applicable guidelines:
4. Address of the premises -
 - (a) of manufacture:
 - (b) where imported insecticide shall be converted
into preparation or repacked:
5. In the case of import, please state: -
 - (a) Name and address of the manufacturer:
 - (b) Name, address and e-mail id of the authority which authorised
manufacturing in the country of export:
 - (c) Name and address of the supplier
if he is duly authorised by the manufacturer:
 - (d) Is the insecticide registered in the country
 - (i) of manufacture:
 - (ii) from which supplies are expected to be made:
 - (e) Registration number, manufacturing licence number,
period of validity of certificate of registration and
manufacturing licence in the country of manufacture:
6. In the case of manufacture, please state -
 - (a) whether the insecticide is proposed

- to be manufactured or repacked:
- (b) whether the insecticide is meant for domestic consumption or for export or for both:
7. In the case of formulation, the sources of supply of technical grade material and status of registration
8. Chemical Composition (on per cent basis):
- (a) Name of active ingredient(s):
- (b) Impurities (in case of technical grade insecticide)
- (c) adjuvant (other ingredients, case of formulation):
- (d) Total:
- 9 (a) Stability in storage:
(provide scientifically generated data as per the protocol approved by the Board)
- (b) Shelf life claim:
(provide shelf-life undertaking)
10. Toxicity of the insecticide to mammals, wild life, aquatic animal:
(provide toxicological data generated at a testing facility as per the guidelines of the Registration Committee)
11. Bio-effectiveness on plant diseases, insects, weeds and other noxious animals against which it is intended to be used:
(provide data generated at a testing facility as per the guidelines of the Registration Committee)
12. Specific instructions for storage and use including first-aid and precautionary measures, which are proposed for labeling:
13. (a) Two copies of proposed specification
(including method of analysis)
for the quality of the insecticide in Bureau of Indian Standard format and its residues along with one soft copy:
- (b) Analytical test report(s) of a sample of insecticide
(applied for registration) from a testing facility:
(provide complete details, graphs, calculations, etc)

- (c) Characterisation of active ingredient in case of
technical grade insecticide (using Ultra Violet, Infra Red, Mass
and Nuclear Magnetic Resonance spectra)

14. Seven copies of the proposed labels and leaflets
(including all printed or graphic matter which will
accompany the package containing the insecticide)
as per the Insecticide Rules, 1971.

15. Manner of packing:

16. Particulars of fee deposited:

Signature of the applicant
with seal

Verification

I _____s/d/o _____do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given in the application and the annexure and statements/accompanying it, is correct and complete. I clearly understand that the certificate of registration is liable to be cancelled if any information or data, submitted with the application is found incorrect or false at any stage or any condition of registration granted against this application is violated.

I further declare that I am making this application in my capacity as _____ and that I am competent to make this application and verify it by virtue of _____ a photo/ attested copy of which is enclosed herewith.

Place:

Date:

Signature
with seal

Note : (1) The application form, including the verification portion and Supplementary Information Form, must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorised by him; in case of Hindu Undivided Family, by the karta; in case of a partnership firm, by the managing partner; in case of a company, by a person duly authorised in the behalf by the Board of Directors; and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

(2) One self-addressed stamped envelope and adequate number of stamped envelopes, depending on the states where manufacturing premises is/are located must be enclosed along with the application.

FORM II

Government of India

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

(Department of Agriculture, Co-Operation and Farmers Welfare)

Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage

Central Insecticides Board & Registration Committee

NH-Faridabad-121 001

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION OF INSECTICIDES

[See sub-rule (4) of rule 6]

F. No. _____

Certified that the insecticide _____ has been registered provisionally under sub-section (3B) of section 9 of the Insecticides Act, 1968 in the name of the person/undertaking, whose particulars are specified below, for period of two years from the date of issue:

1. Name and address of the person/ undertaking:
2. Certificate of registration No.:
3. Import or manufacture:
4. Domestic use or export or both:
5. Name of the insecticide with complete details:
(Common name and trade name of the insecticide, nominal content and type of formulation, details of composition)
6. Address of the manufacturing premises/place of conversion
into preparation or repacking:
7. Source of import -
Name and address of the foreign manufacturer with:
 - (a) Registration number:
 - (b) Manufacturing licence number., date and period of validity, if any:
 - (c) Name and address of the supplier
8. Source of Technical (In case of formulation import / Domestic manufacture):
9. Condition(s) of registration:
Place: Faridabad
Date of issue: The _____, 20

Secretary, Registration Committee
Seal

FORM III

Government of India

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

(Department of Agriculture, Co-Operation and Farmers Welfare)

Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage

Central Insecticides Board & Registration Committee

NH-Faridabad-121 001

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF INSECTICIDES

[See sub-rule (4) of rule 6]

F. No. _____

Certified that the insecticide _____ has been registered under section 9 _____ of the Insecticides Act, 1968 in the name of the person/undertaking, whose particulars are specified below:

1. Name and address of the person/ undertaking:

2. Certificate of registration No.:

3. Import or manufacture:

4. Domestic use or export or both:

5. Name of the insecticide with complete details:

(Common name of the insecticide, nominal content
and type of formulation, details of composition)

6. Address of the manufacturing premises/place of
conversion into preparation or repacking:

7. Source of import:

Name and address of the foreign manufacturer with:

(a) Registration number:

(b) Manufacturing licence number, date and period
of validity, if any:

(c) Name and address of the supplier:

8. Source of Technical (In case of formulation import / Domestic manufacture):

9. Condition(s) of registration:

Place: Faridabad

Date of issue: The _____, 20

Secretary, Registration Committee
Seal

FORM IV**FORM OF APPEAL**

[See rule 7]

To

The Secretary,
Ministry of Agriculture,
(Department of Agriculture and Cooperation),
Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

Appeal No. _____ of 20____ (to be filled by the receiving office)

1. Name and address of the applicant:
2. Name of the insecticide to which this appeal pertains:
3. Date of order appealed against:
4. Date of hosting of minutes of the meeting of Registration Committee (RC)
on official website or communication of the decision of Registration Committee :
5. In view of 3 above, whether the appeal is within the limitation period:
(If not, enclose justification for filing the appeal after the limitation period)
6. Relief claimed in the appeal:
[Enclose complete statement of facts (with supporting documents)
and grounds for appeal, duly signed by the appellant]
7. Address to which notice may be sent to the applicant:
(Also give e-mail id, FAX number and mobile number of the concerned person)
8. Particulars of the fee deposited:

Signature (Appellant)

VERIFICATION

I _____ S/o _____ the appellant, do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief:

Date: _____

Place: _____

Signature (Appellant) _____

Note :

The appeal must be preferred in duplicate and must be accompanied by a copy of the order appealed against.

The form of appeal, ground of appeal and the form of verification must be signed in case of an individual by the individual himself or a person duly authorised by him; in case of Hindu Undivided Family by the karta, in case of a partnership company, by the managing partner; in case of a company, by a person duly authorised by the Board of Directors and in any other case, by the person incharge or responsible for the conduct of the business.

FORM V
APPLICATION FOR THE GRANT
OF LICENSE TO MANUFACTURE INSECTICIDES

[See rule 9]

1. Name, address and e-mail address of the applicant:
2. Address of the manufacturing premises:
3. Particulars of the fee deposited:
4. (a) Name of the insecticide and its registration number:
 (enclose copy of certificate of registration of the insecticide duly certified by the applicant)
- (b) Whether the registration is provisional or regular:
 (indicate date of validity in case of provisional registration)
- (c) Details of full time expert staff engaged in the manufacture and testing of the insecticide in the above unit:

Sl.No.	Name and designation	Qualification	Experience

- (d) Whether details of facilities for manufacture of the insecticide, including infrastructure and those mentioned in Chapter VIII of the Insecticides Rules, 1971, have been provided:
 (Enclose complete details in a separate sheet duly signed by the applicant)

Signature of the applicant

VERIFICATION

I _____s/d/o_____do hereby solemnly verify that the information given in the application and the annexures and statements accompanying it is correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed. I clearly understand that this license is liable to be cancelled, if any information, or part thereof, is found to be wrong, fake or false at any stage or any condition of license is violated.

I declare that we have adequate space and facilities to stock insecticides, manufactured by us so as to maintain their quality on shelf and shall not supply to any distributor or dealer or person who does not have adequate space and facilities to stock them so as to maintain their quality on shelf under every circumstances.

I further declare that I am making this application in my capacity as _____ and that I am competent to make this application and verify it by virtue of _____ a photo/ attested copy of which is enclosed herewith.

Place:

Date:

Signature with seal

FORM VI**(Letterhead of the Licensing Officer)****LICENCE TO MANUFACTURE INSECTICIDES**

[See sub-rule (3) of rule 9]

1. License Number _____

License to manufacture the following insecticide(s) on the premises situated at _____

(Complete address alongwith PIN Code)

is granted to M/s _____

as specified hereunder:-

Sl. No.	Particulars of the insecticide	Registration Number	Date of grant of licence	Validity of licence

2. The insecticide(s) shall be manufactured under the direction and supervision of the following expert staff:

Name of insecticides and name(s) and designation of the expert staff :

3. The licence is subject to such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Insecticide Act, 1968 as well as the conditions stated below.

Signature of the Licensing Officer
Seal**CONDITIONS**

1. This licence shall be kept in the premises for which the licence is being issued and shall be produced for inspection as and when required by an Insecticide Inspector, licensing officer or any other officer authorised by the Government in this regard.

2. Any change in the name of the expert staff, named in the licence, shall forthwith be reported to the licensing officer.

3. The licensee shall scrupulously comply with each and every condition of registration of the insecticide, failing which the licence of the insecticide is liable to be cancelled.

4. The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made thereunder for the time being in force.

5. The licence also authorises the storage and stocking of insecticide(s) manufactured at the licensed premises, in the factory premises for sale by way of wholesale dealing by the licensee.

6. The licensee shall obtain ISI Mark Certificate from Bureau of Indian Standard within three months of the commencement of the manufacture.

7. No insecticides shall be sold or distributed without ISI Mark certification.

8. Any other condition(s) may be specified by the licensing officer.

Signature of the licensing officer
Seal

FORM-VII**APPLICATION FOR THE GRANT/RENEWAL OF LICENCE TO SELL, STOCK OR EXHIBIT FOR SALE OR DISTRIBUTE INSECTICIDES,****APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF LICENCE TO STOCK AND USE OF INSECTICIDES FOR COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS**

[See sub-rules (1) and (3A) of rule 10]

Photo of
applicant

To

The Licencing Authority,

1. Name, address and e-mail address of the applicant:

2. Whether the application is for

- (a) Grant of licence to sell/stock/exhibit for sale/distribution of insecticides:
- (b) Grant/renewal of licence for commercial pest control operations
- (c) or both:

3. Qualification of the applicant/ the technical personnel under employment of the applicant: (minimum qualification shall be a graduate with degree in Agriculture or Science with Chemistry/Zoology/Botany/Biotechnology/Life Sciences.:

4. Training

- (a) Name of the training/course:
 - (b) Duration of training course:
 - (c) Certificate awarded, if any:
- (Enclose supporting documents)

5. In case of application for commercial pest control operations,

- (a) address of registered, zonal and branch offices:
- (b) address of the premises for which the license is applied for:
- (c) whether approval of technical expertise obtained:
- (d) if yes, state reference number of approval, its date and validity:
- (e) name of restricted insecticides for which approved:
- (f) name of the responsible technical person:
- (g) whether any quantity of restricted insecticide in possession as on date of application:
- (h) if yes, particulars and respective quantity of each in possession:
- (i) details of safety equipment, antidotes and all other essential facilities:

(Enclose supporting documents)

6. Name of the insecticide(s) and its/their manufacturer/importer which the applicant intends to deal in and status of the principal(s) certificate:

Sl. No.	Particulars of insecticide	Name of the manufacturer	Registration number	Detailed principal certificate number./date of issue/validity

7. Complete address (including name of the lane, PIN Code, etc.)

of the premises, where the insecticide(s) shall be

- (a) stored/stocked:
- (b) sold or exhibited for sale or issued for use in case of commercial pest control operations:
- (c) whether any of the above premises is situated in residential area:
- (d) whether food articles are also stored in any of the above premises:

8. Full particulars of licence(s), if issued in the name of the applicant

by any other state in the area of their jurisdiction:

9. In case of renewal, please state licence number and date of grant:

10. Particulars of the application fee paid by the applicant:

- (a) Treasury challan/Demand Draft or Pay Order number, date and amount:
- (b) Sub-Treasury, in case of treasury challan:

Any other relevant information:

Signature of the applicant

Declaration

I/we declare that the information given above is correct and true to my/our knowledge and belief, and nothing therein is false or withheld. I clearly understand that if any information is found to be wrong, false or fake or if any information is found to be withheld or any condition of the licence is violated, the licence issued to me is liable to be cancelled.

I also declare that I shall not take possession of any stock without satisfying myself with the quality thereof.

I undertake that we shall forthwith inform any change in the responsible technical person (in case of applications for commercial pest control operations) to the licensing officer.

I further declare that I shall abide by the conditions laid down in the license and failure to do so shall render the license liable to cancellation.

Place:

Date:

Signature of the applicant

FORM VIII**LICENCE TO SELL, STOCK OR EXHIBIT FOR SALE OR DISTRIBUTE INSECTICIDES, INCLUDING STOCK AND USE OF INSECTICIDES FOR COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS**

[See sub-rules (3A) and (4) of rule 10]

License number _____

License to sell, stock or exhibit for sale or distribute by retail the following insecticide(s) or carrying out commercial pest control operations on the premises situated at _____

(Complete address along with PIN Code)

is granted to M/s _____

as specified hereunder:-

Sl. No.	Particulars of the insecticide	Registration number	Date of grant of license

2. The license is subject to the provisions of the Insecticides Act, 1968 and the rules made thereunder for the time being in force as well as the conditions specified below.

Place:

Date:

Signature of the licensing officer
Seal**Conditions****Conditions:**

1. The licence shall be displayed in a conspicuous place in the premises.
2. No insecticide shall be sold or exhibited for sale or distributed or issued for use in commercial pest control operations except in packages approved by the Registration Committee from time to time.
3. If the licensee wants to sell, stock or exhibit for sale or distribute or use for commercial pest control operations any additional insecticide during the validity of the licence, he may apply to the licensing officer for issuance of licence for each such insecticide on payment of the prescribed fee.
4. An application for the renewal of the licence for pest control operation shall be made as laid down in sub-rule (3A) of rule 10 of the Insecticides Rules, 1971.
5. Any other condition(s) – may be specified by the Licensing Officer.

Signature of the licensing officer
Seal

FORM IX

Letterhead of the Manufacturer

PRINCIPAL CERTIFICATE

[See clause (i) of sub-rule (4A) of rule 10]

No. _____

Date: _____

We manufacture the following insecticide(s) as per the details given below:

Sl. No.	Name of the insecticide (Mention trade name, if any, in parenthesis)	Address of the manufacturing premises	Licence number	Date of issue	Valid upto	Name and address of the licensing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. We hereby authorise M/s _____ to sell, stock or exhibit for sale or distribute following insecticides, manufactured by us, in wholesale or retail in the Taluka/District/State as detailed below:

Sl. No.	Common name of insecticide (Mention trade name, if any, in parenthesis)	Registration number and date of issue	Manufacturing License number and date of issue	Name of Taluka and District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. The above mentioned dealer shall obtain the above-detailed insecticides

(a) directly from us:

(b) from the following distributor(s):

Sl. No.	Name of distributor(s)	Complete address of the distributor (s)	License number and date for distribution of above insecticides	Date of validity of the licence	Complete address of the premises, where the distributor(s) is/are stocking insecticides
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. The Dealer to whom this principal certificate has been issued shall procure above-detailed insecticides from the above mentioned distributor. In the event of procuring these insecticides from any other distributor, this certificate shall become null and void.

5. Before issuing this certificate, we certify that we have inspected and ensured that the above mentioned distributors and dealers have adequate space and facilities to stock above-detailed insecticides so as to maintain their quality on shelf and have obtained an undertaking to the effect that the insecticide(s) shall be stocked accordingly to maintain their quality on shelf under every circumstances.

6. This certificate has been issued to enable the distributor/dealer obtain licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute the above-detailed insecticides, including those for stocking and use for commercial pest control operations, and is valid upto _____.

(Date of validity)

Date:

Place:

Signature
with company's seal

To,

Name and address of distributor/dealer.

Copy for information to:

- (i) the licensing officer, _____.
- (ii) M/s (the distributor and his address), if the insecticides are to be supplied through distributors)

Signature with company's seal

Form-X**Self Certification by the Manufacturers/Dealers/retailers regarding stocks of insecticides****[See sub-rule (7) of rule 10]**

I, _____, son/daughter of _____ licensed to have a manufacturing/ distribution/ retailing unit at _____ hereby certify that I have maintained all the registers in the format prescribed in the Insecticides Rules, 1971 under my signatures.

2. The registers are kept under my secured custody and are open to scrutiny anytime by the Insecticide Inspector, licensing officer or any other officer authorised by the Central or the State Government in this behalf.

Place:

Date:

Signature of the In-charge with seal

IndiaCode

FORM XI**REGISTER OF DATE EXPIRED PESTICIDES**

[See sub-rules (a) and (b) of rule 10A]

Sl. No.	Name of insecticide (if formulation, details thereof)	Batch number	Date of manufacture	Date of expiry	Name of manufacturer	Stocks received from and the quantity received (give unit details)	Invoice number and date vide which received	Quantity sold (give unit details)	Quantity balance (Give unit details)	How was the balance quantity disposed of?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Signature of the dealer
with date and seal

Verified with the record and found that the above information is correct.

Place:
Date

Signature of the Insecticide Inspector
(seal)

FORM XII
REGISTER FOR SALE/DISTRIBUTION OF INSECTICIDES (TECHNICAL AND FORMULATION)
(INCLUDING INSECTICIDES USED IN COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS)

(RECORD TO BE MAINTAINED INSECTICIDE-WISE)

[See rule 15]

Particulars of the insecticide:

Registration number:

Month and year:

Sl. No.	Date of receipt of the insecticide	Name of the manufacturer from whom received	Name of supplier/distributor, if any, through whom received	Batch number	Date of manufacture	Date of expiry	Invoice details, number, date and quantity (metric tonnes) vide which supply received	Quantity (metric tonnes)				Bill number (name and address to whom sold/distributed) date and quantity of the quantity sold/distributed	Remarks
								BF, if any	Received	Sold/Distributed	Balance		

Date:

Signature

Verified with the record and found that the above information is correct.

Signature with date and seal of the Insecticide Inspector

Company's seal

FORM XIII
STOCK REGISTER OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDE
[See rule 15]

[illegible]

(Quantity in metric tonnes)

FORM XIV
STOCK REGISTER OF FORMULATED INSECTICIDE
[See rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

[illegible]

FORM XV
[See rule 15]

**MONTHLY RETURN/ STATEMENT OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDES IMPORTED/
MANUFACTURED FOR THE PERIOD..... TO**

Serial Number	Name of the insecticide	Batch number	Date of expiry	Details of total quantity* imported/ manufactured	Quantity* utilised for formulations	Quantity* sold Name, address and licence number of purchaser
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*(Quantity in metric tonnes)

VERIFICATION

I..... do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as (Designation)

Signature.....
Name.....
Seal.....

FORM XVI

[See rule 15]

MONTHLY/ RETURN/ STATEMENT FOR FORMULATED INSECTICIDES FOR THE PERIOD..... TO

Serial Number	Name of the insecticide formulation	Batch number	Date of expiry	Details of total quantity* of technical grade insecticide used for formulation	Total formulated quantity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*(Quantity in metric tonnes)

VERIFICATION

I..... do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as (Designation)

Signature.....
 Name.....
 Seal.....

FORM XVII**REPORT OF INSECTICIDE ANALYST**

[See rule 24]

Sl.No. _____

Part-A Coding Portion*

1. Name of the Insecticides Inspector from whom the sample has been received:
2. Serial number and date of Insecticides Inspector's Memorandum:
3. Particulars of the sample:
 - (a) Name of technical grade insecticide(s) purported to be contained in the sample along with nominal content and type of preparation:
 - (b) Batch number:
 - (c) Date of manufacture:
 - (d) Date of expiry:
4. Number or mark of identification of the sample assigned by the insecticide inspector:
5. Packaging of the sample:
 - (a) whether securely packed, fastened: and sealed:
 - (b) whether the seal was on outer cover alone:
 - (c) whether the seal was on the sample alone:
 - (d) whether the seal was on both, outer cover and the sample:
 - (e) whether the seal was intact and unbroken:
 - (f) whether the seal on sample and outer cover (as the case may be) tallied with the specimen seal:
 - (g) describe in general the packaging of the sample in the parcel:
 - (h) whether the sample was found fit for analysis:
6. The above detailed sample was given Laboratory Code Number:

Signature of the Coding Officer
with seal

* To be filled and signed by a notified Insecticide Analyst (Laboratory In-charge) functioning as Coding Officer.

Part-B Analysis Portion

7. Laboratory Code Number for sample:

Sl. No. Test**Requirement****Result**

- (a) Active ingredient(s):
(enclose graphs, if applicable)

(b) Other tests:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

.

8. Protocol(s) of the test(s) applied:

- (a) For active ingredient(s):
 - (a) if published, Bureau of Indian Standards Number:
 - (b) if not, method approved by the Registration Committee:

(b) For other tests:

9. Tests/analysis of the sample completed on:

Remarks: 1. In view of the results of the test/analysis of the sample with respect to protocols thereof, the sample is declared as _____.

2. Photocopies of chromatograms/spectra (as applicable as per protocols of test applied) for standard and the sample are attached hereto.

Signature of the Insecticide Analyst
Seal

Verification

I certify that I have analysed /caused to be analysed the aforementioned sample and declare the result of analysis to be as above.

Signed this _____ day of _____, 20____.

Signature of the Insecticide Analyst
Seal

FORM XVIII**ORDER REQUIRING A PERSON NOT TO DISPOSE OF ANY STOCK IN HIS POSSESSION**

[See rule 30]

Whereas, I have reason(s) to believe that the stock of following insecticides, which is in your possession, is being stocked, distributed, sold or exhibited for sale and used in contravention of the provisions of section _____ of Insecticides Act, 1968 and/or _____ of the Insecticides Rules, 1971:-

Sl. No.	Name of the insecticide with complete details	Manufactured by	Batch Number	Date of manufacture and date of expiry	Stock quantity as on date (indicate units also)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I hereby require you under clause (d) of sub-section (1) of section 21 of the Insecticides Act, 1968 to stop the distribution, sales or exhibiting for sale and use of the said stock for a period of _____ days from this _____ day of _____ month of the year 20_____.

Insecticide Inspector
Seal

FORM XIX**FORM OF RECEIPT FOR THE SEIZED INSECTICIDES**

[See rule 32]

The stock of the insecticide(s) detailed below has this day _____ of the month _____ of year 20____ been seized by me under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 21 of the Insecticides Act, 1968, from the premises of M/s _____ situated at _____ :

Sl. No.	Name of the insecticide with complete details, like purity, type of formulation, etc.	Manufactured by	Batch Number	Date of manufacture and date of expiry	Stock quantity as on date (indicate units also)	Remarks (Mention page/folio number of the stock register)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I have appended my signatures with date and seal on the page/folio number _____ of the stock register of insecticides and taken a copy thereof for record.

Date:

Insecticide Inspector
Seal

FORM XX**INTIMATION TO PERSON/LICENSEE FROM WHOM SAMPLE IS TAKEN**

[See rule 33]

To

M/s. _____

PIN: _____

I have this _____ day of month _____ year 20____ taken from the premises of _____
 (License number, _____ dated _____) situated at _____ samples of the insecticide(s)
 specified below for the purposes of test or analysis:

1. Common name of the insecticide:
(mention complete details, like type of formulation)
2. Trade name, if any:
3. Manufactured by:
4. Registration number:
5. Marketed by:
6. Distribution Licence Number:
7. Batch number:
8. Date of manufacture:
9. Date of expiry:
10. Stock before sampling:
(Mention units)
11. Quantity of the sample taken:
(Mention units)
12. Stock after sampling:
(Mention units)
13. Folio/page number of stock register:
14. Any other relevant information:

Date:

Insecticide Inspector
Seal

1. Signature of witness: _____
(Date, name and address)
2. Signature of witness: _____
(Date, name and address)

Received one sealed portion of sample along with a copy of this Form.

Signature of the person from whom the sample is taken
 With date and seal

FORM XXI**MEMORANDUM TO INSECTICIDE ANALYST**

[See rule 34]

From

(Name, complete address and e-mail id of the Insecticide Inspector)

To

The Insecticide Analyst,

PIN:

The portion of sample/container described below is sent herewith for test or analysis under rule 34 of the Insecticides Rules, 1971:

- (a) Common name of the insecticide:
(Mention complete details like nominal content,
type of formulation, etc.)
- (b) Batch number:
- (c) Date of manufacture:
- (d) Date of expiry:
- (e) State of packing of the sample:

2. The portion of sample/container has been assigned the number or marked by me with the following mark:

(Give number or the mark here)

3. A copy of this Memorandum along with a copy of Form XX, has been separately dispatched to you by registered post.

Place:

Date:

Insecticide Inspector
Seal

FORM XXII**REGISTER OF PERSONS ENGAGED IN CONNECTION WITH INSECTICIDES****RECORD OF PERIODICAL MEDICAL EXAMINATION**

FOR THE CALENDAR YEAR 20____, QUARTER ENDING____, 20____

[See rule 37]

Serial number:

I. GENERAL INFORMATION

Name:

Age:

Father's /Husband's name:

Complete address:

Sex: Identification mark:

Date of appointment:

Occupation:----- (Please specify the nature of duty of the past and of the present)

Details of use Personnel Protective Equipments:

1. Past 2. Present

(a) Protective clothing/overalls:

(b) Helmet/hood/hat:

(c) Dust-proof goggles:

(d) Rubber gloves impermeable to liquids:

(e) Respiratory device(s):

(f) Boots:

II. MEDICAL EXAMINATION:**PAST HISTORY**

Illness	Poisoning	Allergy	Exposure to pesticides (Compound)	No. of years/ seasons and days of exposure per year	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FAMILY HISTORY:

Allergy	Psychological disorders	Hemorrhagic disorders
(1)	(2)	(3)
Infertility/Sterility	Birth defects	Cancer
(4)	(5)	(6)

PERSONAL HISTORY :

Smoking	Alcohol	Other addiction
(1)	(2)	(3)
Marital Status	Nos. of Children –Health status of children & any birth defect, if any	Any other health related complaint
(4)	(5)	(6)

OBSERVATIONS :

Medical examination	Pre-employment examination	End of 1st quarter i.e. after 3 months	After 2nd quarter after 6 months	After 3rd quarter after 9 months	End of year	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

1. General Examination :

- (a) Height
- (b) Weight
- (c) Pulse rate

- (d) Blood pressure
- (e) Respiration: rate , rhythm , type
- (f) Anaemia/Pallor
- (g) Oedema
- (h) Jaundice
- (i) Skin condition
- (j) Temperature
- (k) Fatigability
- (l) Sweating
- (m) Sleep
- (n) Urination

2. Gastro Intestinal

- (a) Nausea
- (b) Vomiting
- (c) Appetite
- (d) Taste
- (e) Pain in abdomen
- (f) Bowel movement
- (g) Liver
- (h) Spleen

3. Cardio-respiratory

- (a) Nasal discharge
- (b) Wheeze
- (c) Cough
- (d) Expectoration
- (e) Tightness of chest
- (f) Dyspnoea
- (g) Palpitation
- (h) Heart
- (i) Cyanosis
- (j) Tachycardia/Bradycardia

4. Neuro-muscular

- (a) Headache
- (b) Dizziness
- (c) Irritability
- (d) Twitching
- (e) Tremors
- (f) Convulsions
- (g) Paresthesia
- (h) Hallucinations
- (i) Unconsciousness
- (j) Superficial reflexes
- (k) Deep reflexes
- (l) Coordination

5. Eye

- (a) Pupil
- (b) Lachrymator
- (c) Double vision
- (d) Blurred vision

6. Psychological

- (a) Temperament
- (b) Judgment
- (c) Nervousness

7. Kidney

Kidney Condition

8. Investigation

- (a) Complete Haemogram : (Hb, TRBC, TLC, DLC, Platelet, Reticulocytes count, ESR)
- (b) Liver Function Tests: (Serum Bilirubin, SAP, SGOT, SGPT, Cholesterol, Total Protein and serum albumin)
- (c) Kidney Function Tests: (Blood urea, Serum creatinine)
- (d) Blood Sugar, HbA1C
- (e) *Serum cholinesterase
- (f)** Blood residue estimation (In case of Organochlorine once in a year)
- (g) Urine – routine & microscopic
- (h) X- ray chest (PA View): Once every year
- (i) Ultrasound whole abdomen: Once every year

* Serum cholinesterase level should be measured in monthly intervals in case of organophosphorus/carbamatic group of insecticides. General remarks of the doctor in the light of the above examination.

** In organochlorine group of insecticides the blood residue estimation should be done once a year.

III. DIAGNOSIS**IV. ADVICE GIVEN TO**

1. The employee
2. The employer:

Signature of the Doctor
with date and seal

V. Acknowledgement to be given by

1. The employee
2. The employer:
3. The Licensing Officer:

VI. Action taken by the employer on Doctor's advice:**VII. Certificate by the Doctor:**

Certified that M/s _____ have completed the action as per my/doctor's advice as given above and consequently the patient has shown improvement/recovered from the ailment.

Signature of the Doctor
with date and seal".

[F. No. 13035/28/2014 PP-I Vol-II]
RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated the 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated the 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated the 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated the 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated the 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated the 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated the 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated the 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated the 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated the 5th March, 2010,
11. G.S.R. 474 (E), dated the 11th July, 2013 and
12. G.S.R. 797(E), dated the 13th November, 2014.